भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 649

दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

झारखंड के कई कस्बों में लौह अयस्क खनन का प्रभाव

649. श्रीमती जोबा माझीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि झारखंड के चाईबासा स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के किरीबुरू, मेघाहातुबुरू, गुवा, चिड़िया आदि खनन क्षेत्रों में लौह अयस्क खनन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन न करने के कारण कृषि भूमि में सिंचाई हेतु लाल पानी बह रहा है, जिससे कृषि भूमि बंजर हो रही है और स्थानीय लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): मौजूदा कानून के अनुसार, खनन पट्टे के निष्पादन से पहले, संभावित पट्टेदारों के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी सहित अपेक्षित सांविधिक मंज़ूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। पट्टाधारकों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दी गई मंज़ूरियों और अनुमोदनों की निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, अन्यथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संबंधित अधिनियमों और लागू नियमों/दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

इस्पात मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, झारखंड के चाईबासा स्थित किरीबुरू, मेघाहातुबुरू, गुआ, चिड़िया आदि में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा प्रचालित लौह अयस्क खानें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अधिदेशित पर्यावरणीय मंज़ूरी की शर्तों का कड़ाई से पालन करती हैं और सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एमओईएफ एंड सीसी को समय-समय पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि ये खानें गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा ऊर्जा प्रबंधन के मानकों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के तहत प्रमाणित हैं। ये प्रमाणन गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता के लिए मज़बूत प्रणालियों पर आधारित हैं।

*****